[illegible]

[illegible] निवासी खोहरी तहसील महवा
[illegible] — वादिया

बनाम

1. [illegible] पुत्र रामसहाय
2. जगदीश पुत्र रामसहाय
3. शान्तिदेवी पत्नि कल्याणसहाय
4. तहसीलदार महवा

} जाति ब्राहमण निवासी खोहरी हालवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

दिनांक 30-09-2019

वादिया के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खोहरी तहसील महवा की आराजी यखसरा नम्बर 362/771 रकबा 0.65 खसरा नम्बर 366 रकबा 1.93 है. खसरा नम्बर 368/772 रकबा 056 है. खसरा नम्बर 376 रकबा 0.77 खसरा नम्बर 378 रकबा 3.05 है. खसरा नम्बर 379 रकबा 1.70 कुल किता 6 रकबा 8.66 हैक्टयर प्रतिवादीगण व निरंजन, मुकेश, मदनमोहन राजेश 11/42 भाग के खातेदार थे। वादिया ने दिनांक 15-06-2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 से उसके हिस्सा 11/168 भाग का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के 11/168 भाग का 1/9 भाग को एवं प्रतिवादी संख्या 4 के 11/672 भाग का 3/7 भाग कय किया। कय किये गये भू भाग पर वादिया ने उसी दिन कब्जा कर लिया। पटवारी हल्का द्वारा विकय पत्र के अधार पर

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible] प्रतिवादी संख्या 4 से [illegible] इसलिये वादिया को वाद पत्र [illegible] वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय [illegible] अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर मंगल पुत्र [illegible] हि. 11/168 के स्थान पर 88/1512, जगदीश पुत्र रामसहाय हि. 11/168 के स्थान पर 88/1512 तथा शान्ति देवी पत्नि कल्याणसहाय जाति ब्राहमण निवासी खोहरी का हि. 11/672 के स्थान पर 44/4704 मुन्नीदेवी पत्नि रमेशचन्द जाति ब्राहमण निवासी खोहरी हि. 913/42336 शेष बदस्तूर रखा जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये वाद तथ्यों को स्वीकार करते हुये अंकित किया है कि वादी गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये अंकित किया है कि विवादित आराजी का विक्रय किया जाना स्वीकार है। पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 541 खोला गया है जो विक्रय पत्र के अनुसार नहीं खोला गया है। इसलिये नामान्तरकरण की अपील किया जाना आवश्यक है। प्रकरण शुद्धि का नहीं बनता नामान्तरकरण अपील का बनता है।

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श पी 1 व नकल नामान्तरकरण संख्या 541 प्रदर्श पी 2 प्रस्तुत किये है तथा मोखिक साक्ष्य में वादिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने वादिया के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तो निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि विक्रय पत्र दिनांक 15–06–2018 के अनुसार वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसके हिस्सा 11/168 भाग का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के 11/168 भाग का 1/9 भाग को एवं प्रतिवादी संख्या 3 के 11/672 भाग का 3/7 भाग क्रय किया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 541 नहीं खोला गया है। तहसीलदार महवा ने आगे अपने जबाब में यह भी अंकित किया है कि नामान्तरकरण की अपील किया जाना आवश्यक है। वादिया द्वारा अन्य सहखातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 541 नहीं खोला जाकर हिस्सों में गलती की गयी है इसलिये नामान्तरकरण की अपील ही किया जाना आवश्यक है। वादिया का वाद डिक्री योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः वादिया का वाद बाबत ग्राम खोहरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 362/771 रकबा 0.65 खसरा नम्बर 366 रकबा 1.93 है. खसरा नम्बर 368/772 रकबा 056 है. खसरा नम्बर 376 रकबा 0.77 खसरा नम्बर 378 रकबा 3.05 है. खसरा नम्बर 379 रकबा 1.70 कुल किता 6 रकबा 8.66 हैक्टयर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30–09–2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)